"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/28/2010/वाक/पांच (33).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, दिनांक 01-04-2010 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

निम्नलिखित अधिसूचना में अधिसूचना की कालावधि से संबंधित अंक "2010" के स्थान पर अंक 30-06-2010 प्रतिस्थापित किया जाय :—

अ. क्र. (1)	अधिसूचना क्रमांक (2)	दिनांक (3)
1.	एफ-10/62/2008/वाक/पांच (52)	12-09-2008

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2010

क्रमांक एफ-10/28/2010/वाक/पांच (33).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2010/वाक/पांच (33), दिनांक 30-03-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 30th March 2010

NOTIFICATION

No. F-10/28/2010/CT/V (33).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment with effect from 01-04-2010 :—

AMENDMENT

In the following notification for the figure "2010" related to period of the notification, the figure 30-06-2010 shall be substituted :—

S. No. (1)	Notification No. (2)	Date (3)
1.	F-10/62/2008/CT/V (52)	12-09-2008

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.